दिनेश कुमार बनाम सरकार
मुकदमा संख्या–03/74/2025

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

र्थना संख्या :–03/74/2025 आनलॉईन नम्बरः–2025/373 प्रवेश तिथि–09.09.2025

1. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र बृजमोहन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नम्बर डी 10 प्लाट नम्बर 167 कॉलोनी खिरणी फाटक के पास हनुमान नगर झोटवाडा जयपुर राजस्थान।

.............प्रार्थीगण

बनाम्

1. तहसीलदार महोदय टहला तहसील टहला जिला अलवर। ....अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128
राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थितः– श्री राजेन्द्र चेयरवाल एड0–प्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांक 17/11/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 807 खसरा संख्या 883/0.24 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि आराजी का मौके पर सीमांकन नही होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराये जाने बाबत तहसीलदार टहला के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार टहला द्वारा संबंधित पटवारी को पैमाईश के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.07.2025 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशान देही कराई गई। पुष्टि में रिपोर्ट पैमाईश संलग्न है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 के आधार पर आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी तहसीलदार टहला पैमाईश दिनांक 04.07.2025 के अनुसार जारी करने निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब कि गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/2759 दिनांक 29.10.2025 रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।

3. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 04.07.2025 व तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमावंदी सम्वत् 2069 से 2075 खाता संख्या 807 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर की नकल पेंश की।

4. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2075 खाता संख्या 807 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

दिनेश कुमार बनाम सरकार
मुकदमा संख्या–03/74/2025

पैमाईश दिनांक 04.07.2025 व तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार टहला के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 04.07.2025 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में आराजी खाता संख्या 807 खसरा संख्या 883/0.24 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टहला को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थी की आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। तहसीलदार टहला को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते